an>

Title: Regarding income tax on Agricultural Produce Market Committees..

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

महोदय, मेरा निवेदन संसदीय क्षेत्र उदयपुर, राजस्थान में वन से पैदा होने वाली उपज के लिए व्यापारियों पर आयकर अधिनियम की धारा 10(26aab) के अंतर्गत कृषि मंडी समितियों में व्यापारियों पर लगने वाले कर से मुक्त कराने के संबंध में है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वन से जो पैदा होने वाली उपज है, उसमें करंज है, आंवला है, सफेद मूसली है और पूहाड़ आदि है । इन फसलों पर टैक्स वसूला जा रहा है । यह केवल राजस्थान में ही व्यापारियों पर लगाया जा रहा है । मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान के व्यापारियों पर वन से पैदा होने वाली उपज पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, उसको रोका जाए और उनको जो नोटिस दिए जा रहे हैं, उसको संज्ञान में लेकर इस मुद्दे को सोल्व करने का प्रावधान करें । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष :

श्री दुष्यंत सिंह को श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

डॉ. ए. चैल्ला कुमार – अनुपस्थित । राजा साहब और बालू साहब का आज नंबर आने वाला नहीं है । श्री जसबीर सिंह गिल ।